न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 15/2025

(75 एल.आर.एक्ट.)

उनवान

1. दाऊदयाल आयु करीब वर्ष पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार धौलपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

::: निर्णय :::

दिनांकः–28.05.2025

यह अपील न्यायालय तहसीलदार धौलपुर के मुकदमा नं0 05/2025 उनवानी सरकार बनाम दाऊदयाल निर्णय दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पटवार हल्का पुरानी छावनी द्वारा तहसीलदार धौलपुर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि दाऊदयाल पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. पुरानी छावनी द्वारा राजस्व ग्राम पुरानी छावनी में संवत् 2081 खसरा नं0 698 रकवा 01 बीघा 01 विस्वा किस्म वारानी अल्फि जिन्स सरसों बोकर नाजायज कब्जा किया है, कानूनी कार्यवाही की जावें । न्यायालय तहसीलदार धौलपुर नें गैरसायल के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत 60 दिवस के सिविल कारावास एवं लगान 5.00 का पचास गुना 250 रू0 शास्ति के दण्ड से दण्डित किया जाता है। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानते हुए 250 रूपये की शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड का निर्णय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 31.01.2025 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को यह कहते हुए लौटा दिया कि आगे आपका आने की जरूरत नही है, आपसे पैनल्टी वसूल ली है, प्रकरण अब समाप्त हो चुका है तथा अपीलांट के ना तो उपस्थित पर हस्ताक्षर करवाये तथा ना ही अपीलांट को जबाव एवं साक्ष्य का मौका दिया, मनमाने तरीके सवे अपीलांट के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । आराजी ख.नं. 698 रकबा 01 बीघा 01 विस्वा वाके ग्राम पुरानी छावनी का दिनांक 13.09.1971 को अपीलांट के पक्ष में विधिवत रूप से आवंटन हुआ था, तथा अपीलांट आवंटन की दिनांक से ख.नं. 698 पर काबिज कास्त है तथा निरन्तर फसल प्राप्त कर रहा है। अपीलान्ट ख.नं. 698 का अवैध अतिक्रमी नही है वल्कि वैध,स्वत्व एवं वैध कब्जाधारी है लिहाजा अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाना आवश्यक है। अपीलांट ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के समक्ष आराजी ख.नं. 698 वाके ग्राम पुरानी छावनी पर आवंटन तारीखी 13.09.1971 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. उनवानी दाऊदयाल बनाम राज0 सरकार नम्बर 40/2021 प्रस्तुत कर रखा है जिसमे तनकीयात उभय पक्ष की उपस्थिति में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कायम हो चुकी है तथा आगामी पेशी 21.04.2025 नियत है। अपीलांट करीब 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जिसको सत्यता की जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परेशान किया गया है। तथा प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 03.03.2025 को अपास्त किया जावे ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दुहराया जाकर प्रार्थना स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया एवं प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मौखिक बहस की गई।

प्रार्थी विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानते हुए 250 रूपये की शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड का निर्णय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 31.01.2025 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को यह कहते हुए लौटा दिया कि आगे आपका आने की जरूरत नही है, आपसे पैनल्टी वसूल ली है, प्रकरण अब समाप्त हो चुका है तथा अपीलांट के ना तो उपस्थित पर हस्ताक्षर करवाये तथा ना ही अपीलांट को जबाव एवं साक्ष्य का मौका दिया, मनमाने तरीके सवे अपीलांट के विरूद्ध अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । आराजी ख.नं. 698 रकबा 01 बीघा 01 विस्वा वाके ग्राम पुरानी छावनी का दिनांक 13.09.1971 को अपीलांट के पक्ष में विधिवत रूप से आवंटन हुआ था, तथा अपीलांट आवंटन की दिनांक से ख.नं. 698 पर काबिज कास्त है तथा निरन्तर फसल प्राप्त कर रहा है। अपीलान्ट ख.नं. 698 का अवैध अतिक्रमी नही है वल्कि वैध,स्वत्व एवं वैध कब्जाधारी है लिहाजा अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाना आवश्यक है। अपीलांट ने न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के समक्ष आराजी ख.नं. 698 वाके ग्राम पुरानी

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

छावनी पर आवंटन तारीखी 13.09.1971 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. उनवानी दाऊदयाल बनाम राज0 सरकार नम्बर 40/2021 प्रस्तुत कर रखा है जिसमे तनकीयात उभय पक्ष की उपस्थिति में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर कायम हो चुकी है तथा आगामी पेशी 21.04.2025 नियत है। अपीलांट करीब 75 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है जिसको सत्यता की जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परेशान किया गया है। तथा प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 03.03.2025 को अपास्त किया जावे।

हमारे द्वारा बहस विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थी व पैरोकार सरकार के तर्कों पर मनन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई।

भू –राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के कानूनी प्रावधान इस प्रकार है:–

भूमि पर अनाधिकृत कब्जा।

(1)कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और उसे तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या बनाया गया कोई भवन या

अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जैसा वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलेक्टर निर्देश दे परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने के आदेश देने के बदले में उसके सम्पूर्ण भाग या उसके किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकेगा।

(2)ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसके दौरान वह पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर ऐसे अनाधिकृत कब्जे में रहा है, जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अतिचार के प्रथम कृत्य के लिए, वार्षिक किराए या मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, के पचास गुना तक हो सकता है। अतिचार के प्रत्येक बाद के कृत्य के मामले में, वह तहसीलदार के आदेश से, तीन महीने तक की अवधि के लिए सिविल जेल में जाने और पूर्वोक्त सीमा तक जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे जुर्माने की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(3)जहां उपधारा (2) के अधीन सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया अतिचारी उस तहसीलदार को, जिसके द्वारा उसे सिविल कारागार में भेजे जाने का आदेश दिया गया है, यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करने का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

आशय रखता है, वहां तहसीलदार आदेश देगा कि ऐसे अतिचारी को उसके स्वयं के बंधपत्र पर, ऐसी अवधि के लिए रिहा कर दिया जाए, जितनी अवधि के लिए उसे अपील प्रस्तुत करने और अपील न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और ऐसा आदेश, जब तक वह बंधपत्र पर इस प्रकार रिहा रहता है, निलंबित समझा जाएगा।

(3–क) उपधारा (2) के अधीन बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्व, तहसीलदार, विहित रीति से, उस व्यक्ति पर, जिसके बारे में रिपोर्ट की गई है कि वह विधिसम्मत प्राधिकार के बिना भूमि पर कब्जा कर रहा है या कब्जा जारी रखे हुए है, एक नोटिस तामील कराएगा जिसमें ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसे एक निश्चित तारीख तक या तो ऐसी भूमि खाली करने के लिए कहा जाएगा या उपस्थित होकर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि उसे वहां से क्यों न बेदखल कर दिया जाए।

(4)निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात् –

(1)जहां अतिचारी न तो भूमि खाली करता है और न ही उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित होता है, या

(2)जहां ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में अतिचारी भूमि खाली नहीं करता है और उपस्थित होता है, किन्तु –(क)ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाता है, या

(ख)कोई अभ्यावेदन करता है जिसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक जांच और सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाता है, वहां तहसीलदार, जब तक कि खंड (ii) के अंतर्गत आने वाले मामले में अतिचारी एक सप्ताह के भीतर भूमि खाली करने का वचन नहीं देता है और ऐसी समयावधि के भीतर उसे खाली नहीं कर देता है, अतिचारी को ऐसी भूमि से हटाने का आदेश देगा और उसे वहां से हटाएगा या हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा और उस पर कब्जा लेगा; और यदि तहसीलदार या इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्ज़ा लेने में विरोध किया जाता है या उसे फंसाया जाता है, तो तहसीलदार अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट भूमि को तहसीलदार के अधीन समर्पित करने के लिए बाध्य करेगा।

(5)पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसी कोई भूमि धारा 97 के परन्तुक के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट श्रेणी की है, तो तहसीलदार उसे उप–विभागीय अधिकारी के अनुमोदन से अतिचारी को बेच सकेगा, बशर्ते कि वह उसके लिए धारा 96 के

अति0 जिला कलक्टर
(राज0)

Scanned with OKEN Scanner

अधीन नियत दर पर प्रीमियम का भुगतान कर दे और जो ऐसी भूमि पर लागू हो, तथा इसके अतिरिक्त उप–धारा (2) के अधीन उससे अवैध कब्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिए वसूलनीय मूल्यांकन और शास्ति भी हो।

(6)उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क)जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने से पूर्व ऐसी भूमि पर कब्जा कर चुका है, और तहसीलदार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित नोटिस दिए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसा कब्जा हटाने में असफल रहता है, तो उसे दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, तथा जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा; तथा

(ख)जो कोई, राज्य सरकार का नियोजक होते हुए, जिसे कलेक्टर के लिखित आदेश द्वारा इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध को रोकने या निवारण करने का कर्तव्य विनिर्दिष्ट रूप से सौंपा गया है, ऐसे अपराध को रोकने या निवारण करने में जानबूझकर या जानबूझकर उपेक्षा करेगा या लोप करेगा, वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा परंतु, खंड (क) के अधीन अपराध के मामले में, न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किसी पर्याप्त या विशेष कारण से एक मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा परंतु यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा (क) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा आगे यह भी प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना खंड (ख) के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "भूमि" से तात्पर्य है – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) में परिभाषित चरागाह भूमि; तथा(ii)धारा 103 के खंड (क) के उपखंड (iii) और (iv) में परिभाषित भूमि, जिसमें सार्वजनिक कुआं, नाडी, जोहड़ और तालाब से संलग्न भूमि शामिल है।

अदालत मातहत की पत्रावली से जाहिर है कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया । अदालत मातहत को चाहिए कि वे अपीलार्थी की विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इस कारण निर्णय अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत तहसीलदार धौलपुर के निर्णय प्रकरण संख्या 05/25 उनवान सरकार बनाम दाऊदयाल निर्णय दिनांक 03.03.2025 को सिविल कारावास किये जाने की सीमा तक खारिज किया जाता है। न्यायालय सहायक

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कलक्टर (मु0) धौलपुर में दावा अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. उनवानी दाऊदयाल बनाम राज0 सरकार पेश किया गया है। पत्रावली अदालत मातहत तहसीलदार धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह विचाराधीन वाद की जांच कर गुणावगुण के आधार पर नए सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

28/05/25

(हरि [illegible] सीपी)
अतिरिक्त ज़िला कलक्टर,
धौलपुर
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)